

23/04/2026

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि उक्त इजराय प्रार्थना पत्र को आज ही पेशी में लिया जाकर इजराय प्रार्थना पत्र प्रभावहीन हो जाने के कारण निस्तारण क्रमाया जावे। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली कैशलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आगामी सुनवाई तारीख : 23/04/2026

100

सुनवाई तारीख : 23/04/2026